न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/8/2021 दायर दिनांक 13.07.2021

उनवान

1. मधुदेवी पुत्री कजोड जाति नाई आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीया।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 21.10.2021

—:निर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 केम्प ग्राम पंचायत रूपाखेडी में पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 185 के आराजी संख्या 74, 75, 76, 77 कुल किता 4 कुल रकबा 1.18 है0 स्थित है। सिबुत वास्ते चालु जमाबन्दी नकल संलग्न है। जिसमे प्रार्थीया का नाम संयुक्त खाते में बदामीबाई पुत्री कजोड नाई के नाम से दर्ज है। प्रार्थीया मधुदेवी का नाम बोल चाल की भाषा में बदामीबाई के नाम से जानते है तथा इन्तकाल खोलते समय बोल चाल की भाषा बदामीबाई नाम दर्ज करा दिया जबकि अन्य दस्तावेजो/रिकार्ड में शुद्ध नाम मधुबाई अंकित है सही नाम मधुबाई है। वर्तमान जमाबन्दी में बदामीबाई नाम अंकित होने के कारण कही राजकीय सहायता, बैंक ऋण लोन लेने व अन्य कार्यो में भी सही नाम मधुबाई तथा जमाबन्दी में बदामीबाई नाम होने से परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिये प्रार्थीया वर्तमान जमाबन्दी में बदामीबाई की बजाय मधुबाई अंकित कराया जाना आवश्यक है कि प्रार्थीया को अनावश्यक परेशानियों का सामना नही करना पडे। नाम दुरूस्ती से किसी अन्य कोई नुकसान होने की सम्भावना नही है दस्तावेजो में प्रार्थीया का नाम राशनकार्ड में, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा बैंक खाते में मधुदेवी नाम अंकित है। इन्ही के आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में मधुदेवी अंकित कराया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.06 17:54:50 IST
Reason: SelfAttested

यह की प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट में नाम दुरूस्ती के आदेश के द्वारा राजस्व रेकार्ड में अंकित बदामीबाई के बजाय मधुदेवी नाम अंकित किया जाना न्यायोचित व न्यायहित में है। प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कपासन को आदेशित करे कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में प्रार्थना पत्र में अंकित खाते में बदामीबाई के बजाय मधुदेवी दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन ने प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 शिविर में जवाब प्रस्तुत कर नाम शुद्धि किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रार्थीया ने साक्ष्य में चालु जमाबन्दी ग्राम ताराखेडी की खाता संख्या 185 व आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत किये। सहखातेदार मांगी व पडोसी खातेदार अमरसिंह व गोपीलाल के बयान प्रस्तुत किये जिस पर नाम शुद्धि किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। ग्राम पंचायत दामाखेडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में बदामी व मधु नाम की एक ही महिला है जो विवाह उपरान्त वर्तमान में ग्राम चमनपुरा तहसील कपासन में निवासरत है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीया का खाता संख्या 185 में बदामीबाई पुत्री कजोड जाति नाई दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया का नाम मधु प्रस्तुत दस्तावेजों, सहखातेदार के शपथ पत्र व ग्राम पंचायत दामाखेडा के प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है। अतः तहसीलदार कपासन की अनुशंषा को स्वीकार किया जाकर मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 185 में दर्ज बदामीबाई पुत्री कजोड जाति नाई के बजाय मधु पुत्री कजोड जाति नाई दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.06 17:54:50 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official